न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

(56)

निगरानी कृमांक- सन् 2012

श्रीमति सूर्यकुमारी पुत्री श्रीमति मुन्नू राजा
पत्नी श्री अवनीश प्रताप सिंह
निवासी न्यू कॉलोनी छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र......आवेदिका/नि.

बनाम

श्रीमति उर्मिला पत्नी श्री रामकुमार अरजरिया
निवासी ग्राम मोरवा तहसील छतरपुर
जिला छतरपुर मध्यप्रदेश ....गैरनिगरानीकर्ता

R-1337-II/12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्र.38/अ-12/09-10 मे पारित आदेश दिनांक -07.01.2011 एवं 07.07.2011 के विरूद्ध ।

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 11-5-12 को प्रस्तुत

मुकेश भार्गव 11-5-12 एडवोकेट ग्वालियर

महोदय,

उक्त निगरानीकर्ता श्रीमान् के समक्ष सादर निम्न निगरानी प्रस्तुत करती हैं कि :-

1. यह कि ग्राम मौरवा तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि खसरा नं. 1140/2, 1140/3, 1140/4/1/क, 1140/4/1/ख, 1140/4/2, 1140/4/3, 1140/4/4, कुल किता 07 एकत्र रकबा -5.455 हैक्टर की भूमि निगरानीकर्ता की माँ श्रीमति मुन्नू राजा पत्नी श्री रामप्रताप सिंह के नाम पूर्व मे दर्ज थी ।

2. यह कि मुन्नू राजा का स्वर्गवास दिनांक 12.11.2010 को ग्राम खोंप तह. व जिला छतरपुर मे हो गया हैं । इस कारण से सम्पूर्ण वाद भूमि निगरानीकर्ता जो मुन्नू राजा की पुत्री हैं के नाम नामांतरण स्वीकृत हो चुका हैं वर्तमान मे सम्पूर्ण वाद भूमि मुझ निगरानीकर्ता के नाम दर्ज हैं ।

सूर्यकुमारी

............2............

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1337-दो/2012 जिला छतरपुर सूर्यकुमारी विरूद्ध उर्मिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर जिला छतरपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 07-01-2011 एवं 07-07-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 28.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	